

## न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

1. उमराव खां पिसरान् पारस खांजी जाति  
कोटवाल मुसलमान निवासी नई बाली का  
बोरीया तहसील बागोडा जिला जालोर  
प्रकरण संख्या अपील

राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार बागोडा

12/2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, श्री रिजवान अली अभिभाषक अपीलान्त
- 2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.09.2019

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 411/2015 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम श्री उमराव खां पुत्र श्री पारस खां जाति कोटवाल निवासी नई बाली का गोलिया तहसील बागोडा में पारित आदेश दिनांक शून्य के विरुद्ध पेश की गई है।

अपीलान्त अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा नई बाली के खसरा नंबर 142 में से रकबा 0.13 हैक्टर का अपीलांत को संवत् 2072 में अतिक्रमी मानते हुए एक रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तहसीलदार बागोडा को अपीलांत के विरुद्ध इस आशय की पेश है कि प्रत्येक अपीलांत न अलग अलग एक ढाणी पक्की ईट व टिन शोड से ढकी हुई छत व पानी का टांका बताकर अतिक्रमण किया है जिस पर गैर सायल को दिनांक 05.01.2015 को वास्ते जबाब तलब करने हेतु नोटिस जारी किये जिसमें अपीलांत का नोटिस अदम तामील आया। उसके बाद पुनः गैर सायल को नोटिस जारी होकर दिनांक 14.01.2016 को आगामी तारीख पेशी के लिये नोटिस जारी हुये। आदेशिका दिनांक 14.01.2016 के अनुसार पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस आदेशिका के अनुसार गैर सायल को नोटिस तामील हुआ या नहीं इस बारे में पत्रावली में कोई इन्द्राज नहीं है। अपीलाधीन निर्णय जो बिना तारीख का है उसके अनुसार अपीलांत को बेदखली व विघोडी का 50 गुना रूपये जुर्माना तथा पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलांत को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया। उसके विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में नियम विरुद्ध पेश होने के कारण प्रापर अपील अपीलांत न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये इस आधार पर आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर पेश की जा रही है। अपीलांत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया वह अदम तामील आया जबकि इस खसरे में तीन ढाणीयां अलग अलग बनी हुई है व अलग अलग परिवार सहित रहना पटवारी की रिपोर्ट से ही साबित है। ऐसी स्थिति में नोटिस जारी करना विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील के प्रकरण संख्या 411/2015 है तथा ये प्रकरण दिनांक 01.01.2015 को प्रथम बार दर्ज होना बताया जा रहा है लेकिन आगामी पेशी तारीख दिनांक 05.01.2016 बताई जा रही है तथा उसके आगे भी तारीख पेशी दिनांक 14.01.2016 बताई गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम तारीख पेशी व दूसरी तारीख पेशी के बीच अन्तराल 360 दिन का है तथा निर्णय में भी तारीख अंकित नहीं है। जब निर्णय में ही तारीख अंकित नहीं की गयी हो ऐसे निर्णय को विधि विरुद्ध निर्णय मानते हुये अपीलाधीन आदेश इस बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में अपीलांत / गैर सायल को प्रापर तामील विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुई है। फिर भी अपीलांत के विरुद्ध एक तरफा निर्णय करने से अपीलांत को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिला जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय में पुनः नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये ये प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि गैर मुमकिन भूमियों का लगान निर्धारित नहीं होता है फिर भी 0.23 पैसा लगान अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर लगाया उसका भी कारण नहीं बताया गया है तथा उसका 50 गुना जुर्माना आरोपित किया है जो अत्यधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांत का कब्जा पुराना है जो अधीनस्थ न्यायालय में जबाब के साथ ही सबूत पेश किये जाने का अवसर दिया जाना आश्यक था। लेकिन नहीं दिया गया। अतः इस आधार पर यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है। अपीलांत को इस भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का बाली व आई एल.आर.हल्का धुम्बडिया के बयानों

को आधार मानते हुये अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। इस संदर्भ में निवेदन है कि उक्त बयानों को कोस करने का अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में पटवारी व आई एल आर के बयानात अपूर्ण होने से उसके आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। क्योंकि पटवारी हल्का ने गैर सायलान को खसरा नंबर 142 का ही अतिक्रमी माना है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य खसरा नम्बरान 142, 145, 146, 147, 148, व 192 रकबा 4.77 हैक्टर से बेदखली करने के आदेश पारित किये। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण प्रतित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अपीलांट का मामला प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बिना तारीख का होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपील मियाद बाहर है। जब निर्णय ही विधि के अनुरूप न होने से प्रथम दृष्टया एबनिशियो वॉर्डेड निर्णय है तो ऐसे प्रकरण में मियाद का बिन्दु भी गण हो जाता है। राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 06.08.2018 का है जिसकी प्रतिलिपि मुझे दिनांक 06.05.2019 को मिली। अपीलांट ग्रामीण परिवेश में रहने वाला गरीब परिवार है जो कुएँ पर रहता है तथा अनपढ़ गरीब काशतकार व्यक्ति है, काशत के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। अजमेर से नकल लेने के लिये अपीलांट आसू खां दिनांक 01.06.2019 को नकल लेने गया तो अधिवक्ता ने बताया कि आपको जालोर में कलेक्टर साहब के वहाँ अपील पेश करनी पड़ेगी तब मैं दिनांक 10.06.2019 को जालोर कचहरी में आया तो मेरे वकील साहब ने कहा कि तहसीलदार बागोडा के फँसले की नकल लानी पड़ेगी जो नकल मुझे दिनांक 11.06.2019 को मिली तब पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ कि हमको बेदखली व सजा का आदेश है। जब बागोडा में नकल लेने गया तो वहाँ बताया कि आपको गिरफ्तार करेंगे। तब तत्काल अपील तैयार करवाकर दिनांक 14.06.2019 को पेश की जा रही है। उपरोक्त कारणों से यदि अपील मियाद बाहर मानी जावे तो डिले को न्यायहित में कण्डोन किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट अपील पेश कर निवेदन करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बागोडा के प्रकरण संख्या 411/2015 सरकार बनाम उमराव खां निर्णय दिनांक शून्य के जरिये बेदखली व तीन माह का सिविल कारावास का निर्णय दिया गया है जिसे अपास्त करने का आदेश फरमावे तथा उक्त अपील मंजूर फरमावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है। कि मौजा नई बाली के खसरा नंबर 142 रकबा 0.13 हैक्टर पर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर पटवारी हल्का द्वारा इनके विरुद्ध रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार बागोडा द्वारा निर्णय पारित कर बेदखली व जुर्माना राशि के साथ अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास में दंडित किये जाने का आदेश किया है। मूल आदेश पर तिथी अंकित नहीं है। सिविल कारावास पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना पाया जाने पर ही हो सकता है। जबकि इस प्रकरण में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। पटवारी हल्का बाली व आर.आई.धुम्बडिया के बयान लिये गये हैं। जिस पर अपीलांट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। उक्त आराजी पर से अपीलांट को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसी कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र पटवारी आर.आई के बयानों के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मान कर अपीलांट को सिविल कारावास से दंडित किया है। पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक के बयानों की असल प्रति नहीं होकर फोटो कॉपी पत्रावली में लगाई गई है। तथा बयानों में खसरा नंबर 145 होना बताया है। जबकि इस प्रकरण में विवादित आराजी के खसरा नंबर 142 है। खसरा नंबर 142 की आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण अवश्य है परन्तु तहसीलदार बागोडा द्वारा सिविल कारावास की सजा का आदेश करने से पूर्व प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दर्ज की आदेशिका पर तहसीलदार के हस्ताक्षर तथा दिनांक अंकित नहीं है। मूल आदेश पर तिथी अंकित नहीं है। तथा निर्णय 14.01.2016 की नोटशॉट पर भी कटिंग है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित। सरकारी वकील द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलांट गैर मुर्मकिन नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर ढाणीयां बनाकर रह रहे हैं। अपीलांट खुद अतिक्रमण होना स्वीकार कर रहे हैं। संवत् 2071 में उक्त आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण होने पर बेदखल किया गया था। तथा सम्वत 2072 में दूसरी बार अतिक्रमण किया जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने से अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया गया है। जो पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर भी मनन किया गया। जिसके अनुसार मौजा नई बाली के खसरा नंबर 142 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गैर मुर्मकिन नदी पर संवत् 2072 रबी में अपीलांट उमराव खां, पिसरान पारसखां कौम कोटवाल साकिन नई बाली द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर पटवारी हल्का बाली द्वारा अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार बागोडा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 14.01.2016 को निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 411/2015 की समन्त आदेशिकाओं पर दिनांक अंकित है। तथा तहसीलदार बागोडा के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आदेशिका दिनांक 14.01.2016 अनुसार अलग से निर्णय लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। शामिल किया गया निर्णय पत्रावली

संख्या 411/2015 का ही अभिन्न अंग होने से निर्णय की तिथि 14.01.2016 स्वीकार किये जाने योग्य है। यद्यपि अधिनस्थ न्यायालय को अधिक सर्तकता से कार्य करने की हिदायत भी दी जाती है, ताकि लिपिकिय त्रुटियां नहीं रहे। पटवारी हल्का द्वारा संभवत 2072 में प्रस्तुत की गई अतिक्रमण रिपोर्ट के कॉलम कैफियत में नोट अंकित किया हुआ है। कि संबंधित 2071 रबी में अतिक्रमण रहा है। इसी के समर्थन में पटवारी व भू.अ.नि. के बयानों की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद अवश्य है लेकिन बयानों में खसरा नंबर 145 रकबा 0.80 हैक्टर लिखा हुआ है। जबकि इस प्रकरण में विवादित खसरा नंबर 142 रकबा 0.13 हैक्टर है। इस विवादित आराजी पर से अपीलान्त को पूर्व में किस प्रकरण में पारित आदेश की पालना में बेदेखल किया गया ऐसा प्रकरण के विवरण सहित फर्द बेदेखली का इस प्रकरण में अभाव होना पाया जाने से सिविल कारावास की सजा के दण्ड को बहाल रखा जाने योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है।


अतः अपीलान्त की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मुकदमा संख्या 411/2015 सरकार बनाम उमराव खां वगैराह के निर्णय दिनांक 14.01.2016 में आरोपित जुर्माना राशि व बेदेखली के आदेश को यथावत रखते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बागोडा को प्रति प्रेषित किया जाता है। कि अपीलान्त को पश्चात्पूर्व अतिक्रमों साबित करने के संबंध में सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए विधिसंमत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो।



(महेन्द्र सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जालोर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महेन्द्र सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जालोर

